R.M.M. Law College
Saharsa.
Amrendra Kumar Trivedi
part Time Law Teacher
Subject Evidence

पेज न. 1

न्यायालय अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकता

यह धारा साक्षी को प्रतिकूल घोषित करने के विषय में कुछ नहीं कहती बल्कि इतना कहती है कि न्यायालय की अनुमति से कोई पक्षकार अपने साक्षी से वे प्रश्न पूछ सकता है जो विरोधी पक्ष द्वारा उससे प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अतः यह धारा यह अपेक्षा नहीं करती कि इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व साक्षी को प्रतिकूल घोषित किया जाये। यह धारा न्यायालय को पूर्ण अधिकार प्रदान करती है, जिसके अनुसार न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करे जो न्यायिक नियम के अनुकूल हो।

विवेकाधिकार के प्रयोग के लिये पर्याप्त आधार होना चाहिए जिन कारणों या अनुज्ञा दी जाय उनको अभिलिखित कर देना चाहिए क्योंकि जब एक पक्षकार किसी गवाह को पेश करता है तो वह उसको विश्वास के योग्य मानता है, अतः अपने गवाह की विश्वसनीयता की जाँच करने का और उसकी सत्यवादिता का अधिक्षेप करने का अधिकार नहीं होता।

Scanned with CamScanner

न्यायालय, साक्षी की परीक्षा के किसी भी प्रक्रम पर उसको बुलाने वाले पक्षकार को अनुज्ञा दे सकता है वह उससे वे प्रश्न पूछ सकता है।

जिस साक्षी की प्रतिपरीक्षा उसको बुलाने वाले पक्षकार से की जाती है उसके साक्ष्य का मूल्य पहले के कुछ निर्णयों में यह नियम प्रचलित था कि यदि किसी पक्षकार को किसी कारण से अपने साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो उसका समस्त साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किन्तु बाद के निर्णयों ने इस मत का खंडन किया है उसे आधारहीन घोषित किया है। इन निर्णयों के अनुसार यदि पक्षकार को एक अवसर अपने साक्षी की सत्यवादिता को परखने को मिल जाता है और उसके साक्ष्य के मूल्य की परख उसके कथन से भी जायगी जो ऐसी प्रतिपरीक्षा में करता है,

प्रतिपरीक्षा एक पक्षकार का गवाह प्रतिपरीक्षा के विरोधी पक्ष के प्रति पक्षपात दर्शित करता है अपने बुलाने वाला पक्षकार के विरुद्ध कुछ कथन करता है, न्यायालय अपने विवेक से उस पक्षकार को यह अनुज्ञा दे सकता है

बयान के जो बातें उसके विरुद्ध कही हैं उन पर उसकी प्रतिपरीक्षा कर लें।

साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप - किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्न प्रकार से आक्षेप किया जा सकता है ---

उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं।

यह साबित किये जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत प्रस्थापना ~~...~~ को लिये अश्वस्त हो गया है। यहकि साक्ष्य देने वाला उत्प्रेरणा मिली है।

उसके साक्ष्य के किसी भाग से जिसका खण्डन किया जा सकता है।

कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिये अपात्र घोषित करता है। अपने मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताये किन्तु प्रतिपरीक्षा उससे सवाल किया जा सकता हो, जो जाती है।